

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या:- 3686 FP/UK/ROAD/10042/2015 देहरादून:दिनांक: 08 जून, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय-एफ0आर0आई0, देहरादून।

विषय:-जनपद-बागेश्वर में हरिनगर-प्यां से दाबू हड़ाप मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
FP/UK/ROAD/10042/2015

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा का पत्रांक 4409/12-1 दिनांक 31-05-2016द्वारा बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करायी गयी है, जिसे प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा है :-

S. no.	RO Query	Reply
1.	Short narrative of the project does not give adequate information in Part.	Details narrative of the project is given in justification and report my kindly seen.
2.	Authority letter does not issue for the application information filled.	Proposal online uploaded on 11.02.2015 by Shri Mahendra Kumar and authority letter was also in the same of Shri Mahendra Kumar. A photo copy of Shri Mahendra Kumar. A photo copy of his authority letter is being uploaded for information.
3.	Total Period for which forest land to be diverted is not market on the Sol toposheet may uploaded in Part-I.	Starting Point Malla Paya and end point village Harap already mentioned in Geo-referenced digital map may kindly seen.
4.	Total period for which forest land to be diverted is not mentioned in Part-I.	For 50 year has been mentioned in appropriate place of Part I.
5.	GPS coordinate marked digitally on Geo-referenced map for every corner of land proposed for CA is not provided. It should be uploaded in the designated place in Part I and II. Google Map is not acceptable for the purpose.	CA proposed in village bagdungra in Tehsil Bageshwar A revised Geo-referenced digital map for CA is being uploaded in Part I as per instructions and hard copy attached for record.

संलग्न:-यथोपरि।

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 4409 / 12-1 अल्मोड़ा, दिनांक, 31/03/2016.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी
देहरादून।

विषय :- हरिनगरी-प्यां से दाबू हड़ाप मोटर मार्ग (प्रस्ताव संख्या 10042/2015)।

संदर्भ :- आपकी आपत्ति दिनांक 31.03.2016।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग से सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की आपत्ति दिनांक 31.03.2016 सूचित ऑन लाइन आपत्तियों का निराकरण करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 3626/12-1 दिनांक 01.04.2016 को ऑनलाईन के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर को प्रेषित आपत्तियों के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक 3160/12-1 दिनांक 07.05.2016 से प्राप्त आख्या के क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है-

1	Short narrative of the project does not give adequate information in part	Details nerrative for the project is given in justification and report my kindly seen.
2	Authority letter does not issue for the application information filled.	Proposal online uplodaded on 11.02.2015 by sri Mahendra Kumar and authority letter was also in the name of Sri Mahendra Kumar. A Photo copy of his authority letter is being uplodaded for information.
3	Total period for which forest land to be diverted is not market on the SOI topo sheet map uploaded in part I	Starting point Malla paya and end point village Harap already mentioned in Geo-referenced Dijgital map may kindly seen.
4	Totla period for which forest land to be diverted is not mentioned in Part I	For 50 year has been mentioned in appropriate place of part I.
5	GPS co-ordinate marded digitally on geo-referenced map for every corner of land proposed for CA is not provided. It should be uploaded in the designatd place in part I and II. Googal map is not accepatable for the purpose.	CA proposed in village Bagdungra in Tehsiil Bageshwar A revised Geo-referenced Digital map for Ca is being uplodaded in part I as per instructions and hard copy attached for record.

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com

दूरभाष एवं फ़ैक्स नं: 05963-220249

वन मित्र काल सेटर- 9208008000

पत्रांक

3160 / 12-1-2

बागेश्वर

दिनांक : 07/08/2016

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय - आनलाईन प्रस्ताव हरिनगरी-पयां मोटर-मार्ग से दाबू हड़ाप तक मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव संख्या 1004216133/2015)।
सन्दर्भ- आपका पत्रांक 3626/12-1 दिनांक 01.04.2016
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि हरिनगरी-पयां मोटर-मार्ग से दाबू हड़ाप मोटर मार्ग निर्माण प्रस्ताव पर नोडल अधिकारी द्वारा लगायी गयी आपत्तियों के आधार पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने स्तर से निराकरण कर निम्नानुसार प्रेषित किया गया है।

1	Short narrative of the project does not give adequate information in part	Details nerrrative for the project is given in justification and report my kindly seen.
2	Authority letter does not issue for the application information filled.	Proplasal online uplodaded on 11.02.2015 by sri Mahendra Kumar and authority letter was also in the name of Sri Mahendra Kumar. A Photo copy of his authority letter is being uplodaded for information.
3	Total period for which forest land to be diverted is not market on the SOI topo sheet map uplodaded in part I	Starting point Malla paya and end point village Harap already mentioned in Geo-referenced Dijgital map may kindly seen.
4	Totla period for which forest land to be diverted is not mentioned in Part I	For 50 year has been mentioned in appropriate place of part I.
5	GPS co-ordinate marded digitally on geo-referenced map for every corner of land proposed for CA is not provided. It should be uplodaded in the designatd place in part I and II. Googal map is not accepatable for the purpose.	CA proposed in village Bagdungra in Tehsiil Bageshwar A revised Geo-referenced Dijgital map for Ca is being uplodaded in part I as per instructions and hard copy attached for record.

6	Ownership details, Kharsra number and copy of MOU signed regarding CA site between owner and the user agency is not uploaded in part I for the area identified for CA.	The CA proposed in is within approved land bank by State Govt and already handed over to Forest Department for administrative control as per D.M letter no 558/XXVI-Ban/2010-11 dated 02.07.2010 /A copy of above letter along with land schedule and certificate is attached.
7	As per detail provided in hard copy the proposed diversion is an extension of already approved road. Therefore, past information in the designated column in part I regarding prior approved case is need to be mentioned.	The proposed motor road is an extension of Harinagri-Paya Motor road. Information regarding prior approval is being enclosed herewith.
8	The muck disposal is proposed within ROW therefore GPS co-ordinate may be provided for all points marked for the dumping along the stretch of proposed road in geo-referenced map.	Muck dumping site selected in khud side of the proposed motor road in each km within 07 M width and co-ordinated of each place has already mentioned in geo-referenced google map. The Area for muck dumping site is already included in land schedule of state land as mentioned in item 7 of Muck disposal plan.
9	Part II, III, IV and V filled in online form is not provided with the hard copy of the proposal.	It will be provided by State Govt.

अतः प्रस्ताव पर अग्रोत्तर कार्यवाही करने की कृपा करे ।

संलग्नक- यथोपरि

भवदीय

(एम0बी0सिंह)

प्रभागी वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

५



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर

e-mail : sepwd_bgr@rediffmail.com



पत्रांक 60/वन्व/2015

दिनांक 16/1 / 2015

—: कार्यालय ज्ञाप :-

ई0 महेन्द्र कुमार, जो प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर में अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यरत हैं, को प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर से सम्बन्धित वनभूमि प्रस्ताव को ऑनलाईन कराने के लिए अधिकृत किया जाता है।

पृष्ठांकन
प्रतिलिपि,

उक्त दिनांक।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- ई0 महेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।

अधीक्षण अभियन्ता,
सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग,
बागेश्वर।

अधीक्षण अभियन्ता,
सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग,
बागेश्वर।

कै.एस.एस. बागेश्वर

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
बागेश्वर

16/1/15

कार्यालय तहसीलदार, कपकोट।

संख्या :- 71 / र०का / कपकोट / 2014-15 / दिनांक 09/01/2015

सेवा में,


अधिशारी अभियन्ता,
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०, बागेश्वर।**विषय- वन भूमि प्रस्तावों को on line करने के सम्बन्ध में**

महोदय,


उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक 2336/2 ई०व०भू० दिनांक दिसम्बर, 22 2014 जो जिलाधिकारी बागेश्वर को सम्बोधित हैं, का सन्दर्भ गृहण करने का कष्ट करें। प्रकरण में जिलाधिकारी बागेश्वर के पृष्ठांकन आदेश सं० 1200/ छब्बीस-वन/2014-15 दि० 24.12.2014 के क्रम में पत्र में उल्लिखित तहसील कपकोट से सम्बन्धित क.सं. 1, 4, 5, 6, 7 एवं 8 में उल्लिखित मोटर मार्गों के क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल की खतौनी राजस्व उप निरीक्षक, कर्मी, लोहारखेत एवं शामा से प्राप्त हैं, संलग्न कर प्रेषित हैं।

अतः उक्तानुसार वांछित खतौनी प्रेषित हैं।

संलग्नक :- 03 किता।


तहसीलदार
कपकोट।

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी बागेश्वर को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।


तहसीलदार
कपकोट।

वन शास्त्रे दृष्टि०

2014-15
1611

कपकोट तहसीलदार

खप

प्रान्तीय खंड अभियन्ता

कपकोट

Land Schedule

श्री 001 - 03) ख ख ख ख ख ख

खता सं.	नाम खता	क्र. सं.	खता सं.	खता
90	वीड अंगल		989	7011
		289	38=	
		282	221	
		283	82	
		284	32-	
		285	22=	
		286	8011=	
		287	901	
		288	83	
		289	261=	
		290	301=	
		291	82=	
		292	89 "	
		293	82	
		294	82=	
		295	82 "	
		9986	861	
		9987	20	
		9988	8611=	
		9989	82 "	
9200	9611-			
9201	82 1=			
9202	22 =			
9203	22 =			
9226	9211=			
9227	2 "			
9228	2811=			
		20	90821=	

कोटेशन

सहायक अधिकारी
 जयपुर जिला प्रशासनिक विभाग
 जयपुर

इसमें नई जगह कोटेशन है
 डीएनए-पदा मोटोपार्क का दान्ड डाय
 तब लिहाज हेतु = 12-120 हे
 प्रस्तावित किया गया है

[Handwritten Signature]

जयपुर


जयपुर जिला

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर में हरिनगरी-पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार में प्रभावित होने वाली 6.06 हैक्टेयर वन भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु दुगुने अर्थात् 12.120 हैक्टेयर में वनीकरण हेतु वन विभाग द्वारा ग्राम बगडुंगरा तहसील बागेश्वर की सिविल सोयम भूमि का चयन किया गया है। उक्त भूमि वनीकरण हेतु उपयुक्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या 26 में दिया गया है।

उक्त भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व की है एवं राजस्व अभिलेखों में खाता संख्या 10 के अन्तर्गत श्रेणी 9(3) ख - अन्य वन में दर्ज है। यह भूमि शासनादेश संख्या 759(1)/ XVII (2)/ 2009 दिनांक 20.03.2010 द्वारा लैन्ड बैंक के अन्तर्गत अनुमोदन उपरान्त जिला अधिकारी बागेश्वर के पत्रांक 558/ 26- वन / 2010-11 दिनांक 02.07.2010 के अनुसार (प्रति संलग्न) वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित कर दी गयी है। उक्त भूमि मध्ये तहसीलदार द्वारा 12.120 हैक्टेयर की खतौनी दी गयी है, जो संलग्न है।

संलग्न- उक्तानुसार


18.4.16
आधिशारी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर 6

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या- 558/छब्बीस-वन/2010-11 दिनांक: 02 जून 2010

सेवामें

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
बागेश्वर।।

विषय:- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक पर अपने कार्यालय के फैंक्स पत्र संख्या- 223/2 ई0ब0भू0 दिनांक: 02 जुलाई, 2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जनपद में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि जनपद के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित तहसीलवार कुल भूमि- 1402.678 हे0 की सूचना/स्वीकृति हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या- 172/छब्बीस-वन/2008-09 दिनांक: 02 फरवरी, 2009 से शासन को प्रेषित की गई थी, जिसकी स्वीकृति शासन ने अपने पत्र संख्या- 759 (1) / xviii (2)/2009 दिनांक: 20 मार्च, 2010 के माध्यम से प्रदान की थी, किन्तु चिन्हित भूमि का स्थलीय कब्जा वन विभाग को वेते समय तहसील गरुड़ के अन्तर्गत 0.982 हे0 भूमि पर ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। वर्तमान में 0.982 हे0 भूमि को चिन्हित भूमि से पृथक कर लिया गया है। तदनुसार 1265.676 हे0 भूमि वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित की जा चुकी है। शेष तहसील गरुड़ एवं काण्डा में चिन्हित भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित किये जाने की प्रकिया इस स्तर पर गतिमान है। जिसकी सूचना पृथक से प्रेषित की जावेगी।

प्रभारी अधिकारी,

कृते जिलाधिकारी, बागेश्वर।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, बागेश्वर को अधिशाली अभियन्ता, लो0नि0वि0 बागेश्वर के उक्त फैंक्स पत्र संख्या जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है, एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या- 552/छब्बीस-वन/2010-11 दिनांक: 29 जून, 2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें के कम में इस आशय के साथ प्रेषित की उक्तानुसार शेष भूमि को अपने प्रशासनिक नियन्त्रण में लेते हुए इस कार्यालय को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें। कृपया इस कार्य को प्राथमिकता से लें।

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी, बागेश्वर।

Steno

02.06.2010
E.S.

अधिशाली अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
बागेश्वर

कृते जिलाधिकारी, बागेश्वर

अधिशाली अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग

बागेश्वर

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

नॉडल अधिकारी एवं वन संरक्षक
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तरांचल, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून : दिनांक 10, मार्च, 2006.

विषय:- जनपद-बागेश्वर में हरिनगरी-पर्याँ मोटर नार्ग के निर्माण हेतु 4.90 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या:-3731/1जी-1155 (बागेश्वर) दिनांक 03-03-2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-बागेश्वर में हरिनगरी-पर्याँ मोटर नार्ग के निर्माण हेतु 4.90 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./06/150/2005/एफ.सी./2991 दिनांक 20-02-2006 में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तों पर प्रदान करते हैं:-

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. लोक निर्माण विभाग उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह, उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. लोक निर्माण विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उकेंदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं लोक निर्माण विभाग पर बाध्यकारी होगा, लोक निर्माण विभाग द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि लोक निर्माण विभाग को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि लोक निर्माण विभाग को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो लोक निर्माण विभाग के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
5. वन विभाग तथा उसके अधिकारियों को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
6. वन भूमि पर खड़े वृक्षों, यदि कोई हो और उनका पालन किया जाना नितान्त आवश्यक हो तो वह केवल उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा ही निस्तारित किया जायेगा।
7. वन क्षेत्र में परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिए वनों को हानि न पहुँचायें, इसके लिए लोक निर्माण विभाग ईंधन की लकड़ी अथवा अन्य वैकल्पिक ईंधन सान्ग्री उपलब्ध करायेगा।
8. लोक निर्माण विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा 0.25 हे० अतन्त वन क्षेत्र पर क्षतिपूर्तक समायोजन गतं

9. लोक निर्माण विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित नार्ग के दोनों आर रिक्त गड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण किया जायेगा।
10. लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद कार्य बल को संस्तुतियों एवं सू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
11. कार्य आरम्भ होने से पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिनियम, 1994 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरण सम्बंधी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
12. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी से एन0पी0वी0 की धनराशि एकत्रित कर उक्त धनराशि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रवन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (CAMP'A) को सभानुसारित किया जायेगा।
14. प्रस्तावित परियोजना के लिए हस्तान्तरण की जाने वाली वन भूमि पर लोक निर्माण विभाग के व्यय पर आर0सी0सी0 पिलरों से (फोर बियरिंग व बैक बियरिंग लेकर) सीनॉकन किया जायेगा व प्रभागीय स्तर पर वन भूमि हस्तान्तरण के अभिलेखों में भी अंकित किया जायेगा।
15. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न मलवे का निस्तारण डम्पिंग स्थल (Dumping Sites) चयनित कर किया जायेगा व अपने व्यय पर डम्पिंग स्थल का पुनर्वास/पुनर्स्थापना कार्य किया जायेगा।

2. उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाय संख्या: ए-2-75/दर-77-14(4)/74 दिनांक 3-2-1977 द्वारा प्रवृत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

संख्या:-जी0आई0:- 1047 /7-1-2006-600(1151)/2005 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


1. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, सैक्टर-एच, पंचम तल, अलीगंज, लखनऊ।
2. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
3. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल शासन।
4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार)

डिजिटल मानचित्र – जनपद बागेश्वर में हरिनगरी-पय्या मोटर मार्ग का दाबूहड़ा तक विस्तार हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ग्राम-बगडुगरा क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्रफल- 12.12 है०

1:50,000



Plantation Site

TR
 राजेश कुमार
 जिला जल संयोजक, बागेश्वर
 बागेश्वर

[Signature]
 जिला जल संयोजक, बागेश्वर
 बागेश्वर

[Signature]
 जिला जल संयोजक, बागेश्वर
 बागेश्वर

राज्यीय वनोद्योगिक
 प्राधिकरण एवं सहाय, बागेश्वर